न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर)

पक्की डिक्री

(पीठासीन अधिकार लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)

लोक अदालत / कैम्प कोर्ट का स्थान :– मुण्डावर

उनवान

रामशरण ..... बनाम मीरसिंह व अन्य

वादी ..... प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– मु० ई० दवागी

प्रकरण संख्या 257/16 निर्णय दिनांक 24.5.17

वादी की ओर से वकील उपस्थित की व प्रतिवादी की ओर से ..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.5.2017 को महेश चन्द मीना (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :– आ०वि०सं० 152 वाले ग्राम शाखा तहसील मुण्डावर जिला अलवर के प्रतिवादीगण को सदैव-सदैव के लिए मु० ई० दवागी के पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त खेत दही की आराजी में कब्जे काश्त में किसी प्रकार के मजाहमत पैदा नहीं करे। प्रवेश नहीं करे एवं डोल नहीं तोड़ेगा कायम रहे। वाद शीर्षक निर्णय एवं पक्की डिक्री का अमिल अमल रहेगा।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 24.5.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(महेश चन्द मीना)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील	रूपया –Nil–	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 3. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. कमिश्नर की फीस 6. आदेशिका की तामील	रूपया –Nil–
योग		योग	

Scanned by CamScanner